



डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ  
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow  
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक: 867/फा0सं0-240/स्था0/डा.श.मि.रा.पु.वि./2021-22,

दिनांक: 28 अगस्त, 2021

:: कार्यालय ज्ञाप ::

विश्वविद्यालय के पत्रांक: 72/फा0सं0-240/डा.श.मि.रा.पु.वि./2021-22, दिनांक: 24 मई, 2021 द्वारा गठित "कामकाजी महिला उत्पीड़न प्रतिषेध शिकायत समिति" को अवक्रमित करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2015 में विहित व्यवस्थानुसार 03 वर्षों के लिए "आन्तरिक शिकायत समिति" का पुर्नगठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. प्रो0 सुदर्शन वर्मा  
आचार्य, विधि विभाग  
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ।  
अध्यक्ष
2. डॉ0 अर्चना सिंह  
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज कार्य  
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।  
सदस्य सचिव
3. डॉ0 यशवंत कुमार वीरोदय  
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग  
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।  
सदस्य
4. डा0 नीती राय  
कनिष्ठ सहायक  
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।  
सदस्य
5. डॉ0 कमलेश यादव  
चिकित्सा अधीक्षक  
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।  
सदस्य
6. श्रीमती लवलीन गुप्ता  
अध्यक्ष, पारस फाउंडेशन  
647-बी/बी-76, जानकीपुरम गार्डन,  
नियर गुडम्बा थाना, लखनऊ।  
सदस्य  
(गैर-सरकारी संगठन)

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2015 के बिन्दु संख्या-4(स) के अनुसार यदि किसी मामले में छात्र शामिल होंगे, तो विहित व्यवस्थानुसार पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा छात्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा।

उपर्युक्त गठित समिति से अपेक्षित है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला कार्मिकों के उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर कृत कार्यवाही के अनुक्रम में विवरण सहित सुझाव अधोहस्ताक्षरी को सीधे प्रस्तुत करेगी।

(प्रो0 आर0 के0 पी0 सिंह)  
कुलपति

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 कुलपति, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ।
2. प्रो0 सुदर्शन वर्मा, आचार्य, विधि विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
4. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
5. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
6. समिति के नामित समस्त सदस्यगण।
7. समस्त कर्मचारीगण।
8. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. गार्ड फाइल।

(बृजेन्द्र सिंह)  
सहायक कुलसचिव